इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 407] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 सितम्बर 2014—भाद्र 13, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2014

क्र. 4324-228-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 सितम्बर 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१४

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१४.

[दिनांक ३ सितम्बर २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ सितम्बर २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) "माध्यस्थम् अधिनियम" से अभिप्रेत है, माध्यस्थम् अधिनियम, १९४० (१९४० का १०) (निरसित अधिनियम) या माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २६), जो भी लागू हो;";

(दो) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ) "सार्वजनिक उपक्रम" से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २ के खण्ड (४५) के अर्थ के अंतर्गत कोई सरकारी कंपनी और उसमें सम्मिलित है राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या सारत: धारित या नियंत्रित कोई निगम अथवा अन्य कानूनी निकाय चाहे वह प्रत्येक दशा में किसी भी नाम से ज्ञात हों.

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद "निगम" में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सोसाइटियाँ और प्राधिकरण, सम्मिलित समझे जाएंगे;".

धारा ८ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(५) विरोधी पक्षकार, सूचना में उपसंजाति के लिए विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व, लिखित उत्तर, जो विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा, ऐसे शपथ-पत्र के साथ फाइल कर सकेगा जिसमें उन प्रकथनों को सत्यापित किया गया हो जो उत्तर में किए गए हैं. उत्तर के साथ ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य संलग्न होंगे जिन पर कि विरोधी पक्षकार निर्भर रहना चाहता है.".

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2014

क्र. 4325-228-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 17 OF 2014

THE MADHYA PRADESH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 3rd September, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th September, 2014.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradeshmadhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) (hereinafter referred to as the principal Act) in sub-section (1),—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) "Arbitration Act" means the Arbitration Act, 1940 (No. 10 of 1940) (repealed Act) or the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996), whichever is applicable;";

(ii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

"(g) "public undertaking" means a Government Company within the meaning of clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) and includes a corporation or other statuory body by whatever name called in each case, wholly or substantially owned or controlled by the State Government.

Explanation.—For the purposes of this Act, societies and authorities controlled by the State Government shall be deemed to have been included in the term "Corporation";".

Amendment of Section 8.

3. In Section 8 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(5) The opposite party on or before the date specified in the notice for appearance, may file a reply in writing signed and verified by the opposite party or its authorized agent, along with an affidavit verifying the averments made in the reply. The reply shall be accompanied by such document or other evidence, which the opposite party wants to rely upon.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.